

क्र. एफ-2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी. 33.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, वाणिज्य कर विभाग के अंतर्गत आबकारी विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत वाणिज्य कर विभाग के अंतर्गत आबकारी विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
33.1	औषध विनिर्माण के लिए एल-1 लाईसेंस.	जिला स्तर पर सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी.	07 कार्य दिवस.	आबकारी आयुक्त, म. प्र.	10 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वाणिज्य कर विभाग.
33.2	औषध विनिर्माण के लिए एल-2 लाईसेंस.	जिला स्तर पर सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी.	07 कार्य दिवस.	जिला कलेक्टर	10 कार्य दिवस.	आबकारी आयुक्त, म. प्र.

क्र. एफ-2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी. 2.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, श्रम विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली नवीन सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत श्रम विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.20	कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 6, 7 सपठित	मुख्य कारखाना निरीक्षक म. प्र. इंदौर (संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा).	30 कार्य दिवस.	श्रम आयुक्त, म. प्र., इंदौर.	30 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव/ सचिव श्रम विभाग.